



## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक :- पी.एफ. एवं पेंशन/2016-17/1508

दिनांक :- 15.2.17

### -:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान आवासन मण्डल के कर्मचारियों/अधिकारियों की सामान्य भविष्य निधि की जमा राशियों पर केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा घोषित ब्याज दर के अनुरूप ही भुगतान किया जाता रहा है। वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक F-21(5)FWM/2007 जयपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिनांक 01.10.2016 से 31.12.2016 तक सामान्य भविष्य निधि जमा राशि पर 8.00% वार्षिक ब्याज दिया जावेगा तथा आहरण/ऋण पर ब्याज की दर 1% अधिक रखते हुए 9.00% की दर से ब्याज वसूल किया जायेगा। उक्त ब्याज दरों के पूर्व में निष्पादित प्रकरणों को नहीं खोला जावेगा।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर का अनुमोदन पैरा संख्या 80/N पर प्राप्त है तथा बोर्ड अनुमोदन की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

  
(आरती बागोटिया)  
वित्तीय सलाहकार

### प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त ....., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/बीकानेर/कोटा
6. लेखाधिकारी (भुगतान), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ....., राजस्थान आवासन मण्डल, .....
8. रक्षित पत्रावली।

  
वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन)